मतदाता केंद्रों के युक्तिकरण के लिए 13 जुलाई तक दे सकते हैं सुझाव

शिमला, 29 जून (ब्यूरो): निर्वाचन विभाग ने विधानसभा चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस कड़ी में हिमाचल प्रदेश में 2 जनवरी 2022 से 1 अक्तूबर 2022 तक 18 साल की आयु वाले युवाओं को मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने का सुनहरा मौका है।

निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में फोटोयुक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य जुलाई से अक्तूबर माह तक करवाने का निर्णय लिया है, जिसमें वे युवा मतदाता, जिनकी आयु 18 साल हो चुकी है, अपने नाम मतदाता सूची में शामिल करवा सकते हैं। इसके लिए निर्वाचन विभाग जल्द ही कार्यक्रम जारी करेगा।

इसके अलावा विभाग मतदान केंद्रों का युक्तिकरण करने जा रहा है। इसके लिए 13 जुलाई तक संबंधित जिले के निर्वाचन अधिकारी यानी जिलाधीश, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, एस.डी.एम. में से किसी एक के समक्ष अपने सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके लिए निर्वाचन विभाग ने सभी विधानसभा के मतदान केंद्रों के युक्तिकरण का कार्यक्रम भी जारी किया है। जारी कार्यक्रम के तहत बुधवार को निर्वाचन विभाग ने मतदाता केंद्रों के भौतिक सत्यापन के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। ये अधिकारी संबंधित मतदाता केंद्रों का स्वयं सत्यापन करेंगे।

तैयारी निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियों के पुनर्निरीक्षण के लिए जारी किया शैड्यूल, चुनावी वर्ष में युवाओं को मौ

अक्तूबर में 18 साल कंप्लीट, तो डाल सकेंगे वो

स्टाफ रिपोर्टर–शिमला

हिमाचल प्रदेश में नंवबर माह में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए निर्वाचन आयोग ने उन मतदादाताओं को भी मतदान करने की अनुमति प्रदान की हैं, जो मतदाता पहली अक्तूबर तक 18 साल की आयु पूरी कर रहे हैं। इससे पहले चुनावी वर्ष के जनवरी माह तक 18 साल की आयु पूरी करने वाले मतदाता ही मतदान कर पाते थे। ऐसे में अब निर्वाचन आयोग की ओर से नियमों में बदलाव किया गया है। इस बारे में निर्वाचन आयोग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी

गई है। ऐसे में निर्वाचन आयोग ने युवा मतदाताओं से अपील की है कि वह मतदाता सूचियों में अपना नाम दर्ज करवाएं। इसके अतिरिक्त विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण से पूर्व भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान केंद्रों के युक्तिकरण, पुनर्व्यवस्था का कार्य करने के लिए जिला और उपमंडल स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में निर्वाचन आयोग की ओर मतदाता सूचिओं के पुनर्निरीक्षण का शैडयूल भी जारी कर दिया है। निर्वाचन आयोग की ओर से जारी शैडयूल के अनुसार बुधवार को वर्तमान मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन करने के लिए नोडल अफसरों की नियुक्ति कर दी गई है। वहीं, 30 जून से छह जुलाई तक नोडल ऑफिसरों और बीएलओ द्वारा वर्तमान मतदान केंद्रों का मूलभूत सुविधाओं सहित भौतिक सत्यापन किया जाएगा। सात जुलाई को मतदान केंद्रों की सूचियों के प्रकाशन की तिथि निर्धारित की गई है। इसके अलावा सात से 13 जुलाई तक प्रकाशित मतदान केंद्रों की सूचियों पर आम जनता द्वारा सुझाव व आपत्तियों को पेश करने का समय दिया गया है। 14 जुलाई को आम जनता और अन्य से प्राप्त सुझाव व अभ्यावेदनों पर निर्णय लेने की तिथि निर्धारित की गई है। इसके अलावा 16 से 18 जुलाई तक राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ प्रस्तावनाओं पर विचार-विमर्श किया जाएगा। 19 जुलाई को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के परामर्शानुसार प्रस्तावनाओं पर निर्णय लिया जाएगा। 20 से 21 जुलाई को विधानसभा क्षेत्रवार समेकित प्रस्तावनाओं को तैयार करके

• सात जुलाई को प्रकाशित होंगी मतदान केंद्रों की सूचिय

निर्वाचन विभाग मुख्यालय प्रस्तुत करने की तिथि निर्धा की गई है। निर्वाचन आयोग प्रदेश के सभी नागरिकों राजनीतिक दलों से आह्वान कि है कि यदि वह मतदान केंद्रों संशोधन व युक्तिकरण के संबं कोई परामर्श प्रस्तुत करना च हैं, तो अपना अभ्यावेदन जिला से संबंधित जिला निर्व अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्र अधिकारी यानी एसडीएम एडीएम के समक्ष 13 जुलाई प्रस्तुत कर सकते हैं।